न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रभीव कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2022 **जीसीएमएस नम्बर 2022/110**

अनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र कानारामजी उर्फ नारायण जाति विश्नोई निवासी नेलिया, तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीया.....

1. कानाराम उर्फ नारायण पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई नेलिया तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
3. रुगनाथाराम पुत्र श्री वगताराम जाति विश्नोई निवासी सेड़िया तहसील सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः–07.11.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 2 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः– **04.02.2026**

1. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 लाखाराम पुत्र गणेशाराम, कौम विश्नोई, एक ही वंश के हैं। उनकी पैतृक खातेदारी भूमि लाखा पुत्र गणेशा के नाम से तत्कालीन ग्राम गुंदाउ (वर्तमान ग्राम नेलिया) में पुराने खसरा संख्या 262मी., 253, 253मी. व 252 में दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट में इनके नवीन खसरा संख्या 491, 493, 500, 501, 494, 473, 474 व 493/1761 सृजित हुए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के तहत उक्त भूमि लाखा पुत्र गणेशा के निधन पर उत्तराधिकार से प्राप्त हुई तथा आपसी बंटवारे में खसरा संख्या 491, 493 व 500 अप्रार्थी संख्या–1 को मिले। उक्त भूमि पैतृक संपत्ति है, अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी, जो लाखा पुत्र गणेशा का पौत्र व अप्रार्थी संख्या–1 का पुत्र है, का इसमें जन्मसिद्ध अधिकार है। अप्रार्थी संख्या–1 को उक्त भूमि के अंतरण का कोई अधिकार नहीं है और वह केवल केयर–टेकर है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त व रहवास है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा दिनांक 01.09.2022 को प्रार्थी को काश्त से रोकने व भूमि बेचने की धमकी दी गई। पंचायती के बावजूद अप्रार्थी भूमि विक्रय व बेदखली पर आमादा है। अतः प्रार्थी ने खातेदारी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिकृतीनों आधार प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अप्रार्थी भूमि किसी अजनबी को बेचकर प्रार्थी को बेदखल कर सकता है, जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद के अंतिम निर्णय तक ग्राम नेलिया (सेडिया), तहसील सांचौर स्थित नवीन खसरा संख्या 491, 493 व 500 में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा–उपयोग में हस्तक्षेप न करने, भूमि का किसी प्रकार का अंतरण न करने तथा यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 07.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थीया संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का फिकरा सं. 01 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी किसका पुत्र अथवा वारिस है, इससे अप्रार्थी रूगनाथाराम का कोई सरोकार नहीं है। उक्त तथ्य प्रार्थी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र द्वारा सिद्व करे। फिकरा सं. 02 गलत होने से अस्वीकार है। मौजा नेलिया, पटवार हल्का गुन्दाऊ की खसरा संख्या 500 रकबा 1.49 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 01 कानाराम की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी। कानाराम को उक्त भूमि बैचान करने का पूर्ण अधिकार था, जिसके अंतर्गत दिनांक 19.09.2022 को 0.6475 हैक्टर भूमि का विधिवत पंजीकृत बैचान दस्तावेज दिनांक 20.09.2022 को प्रतिफल प्राप्त कर मुझ अप्रार्थी रूगनाथाराम के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से आज तक मुझ अप्रार्थी का शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न कब्जा है। प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई हक या कब्जा नहीं है, अतः दावा खारिज योग्य है। फिकरा सं. 03 गलत होने से अस्वीकार है। कानाराम द्वारा विधिक अधिकार के तहत 0.6475 हैक्टर भूमि का बैचान किया गया है, जिससे समस्त मालिकाना अधिकार मुझ अप्रार्थी में निहित हो चुके हैं। प्रार्थी ने अपने कथित हिस्से अथवा खातेदारी का कोई स्पष्ट दावा नहीं किया है, अतः उसके कथन असत्य एवं अस्पष्ट हैं और प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। फिकरा सं. 04 गलत होने से अस्वीकार है। कानाराम को अपनी स्वअर्जित खातेदारी भूमि बैचान करने का पूर्ण अधिकार था, जिस कारण मुझ अप्रार्थी द्वारा विधिवत भूमि खरीदी गई है। प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। फिकरा सं. 05 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि कानाराम से विधिवत बैचान द्वारा खरीदी गई है। कानाराम के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई जन्मसिद्व अधिकार नहीं बनता, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई आधार नहीं है। फिकरा सं. 06 गलत होने से अस्वीकार है। बैचान प्रतिफल प्राप्त कर विधिवत पंजीकृत दस्तावेज से हुआ है एवं कब्जा सौंपा गया है। भूमि मुझ अप्रार्थी की वैध खरीदसुदा संपत्ति है, जिसमें प्रार्थी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिकरा सं. 07 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि कानाराम की स्वअर्जित थी, जिस पर मुझ अप्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा बैचान की तिथि से निरंतर बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा कब्जे का कथन पूर्णतः असत्य है। फिकरा सं. 08 गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बिंदु मुझ अप्रार्थी रूगनाथाराम के पक्ष में हैं। स्थगन आदेश से अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार, असत्य व विधि–विरुद्ध होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। एकपक्षीय स्थगन आदेश भी विधि अनुसार अपास्त किए जाने योग्य है।

4. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 लाखाराम पुत्र गणेशाराम, कौम विश्नोई, एक ही वंश के हैं। उनकी पैतृक खातेदारी भूमि तत्कालीन ग्राम गुंदाउ (वर्तमान ग्राम नेलिया) में लाखा पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट में इसके नवीन खसरा संख्या 491, 493, 500, 501, 494, 473, 474 व 493/1761 सृजित हुए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के तहत लाखा पुत्र गणेशा के निधन पश्चात उक्त भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त हुई तथा आपसी बंटवारे में खसरा संख्या 491, 493 व 500 अप्रार्थी संख्या–1 को मिले। उक्त भूमि पैतृक संपत्ति है, अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी, जो लाखा पुत्र गणेशा का पौत्र एवं अप्रार्थी संख्या–1 का पुत्र है, का उसमें जन्मसिद्ध अधिकार है। अप्रार्थी संख्या–1 केवल केयर–टेकर है और भूमि के अंतरण का कोई अधिकार नहीं रखता। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त व रहवास है। दिनांक 01.09.2022 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी को काश्त से रोकने व भूमि बेचने की धमकी दी गई। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के आधार प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद के अंतिम निर्णय तक ग्राम नेलिया (सेडिया), तहसील सांचौर स्थित खसरा संख्या 491, 493 व 500 में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा–उपयोग में हस्तक्षेप न करने, भूमि के अंतरण पर रोक लगाने एवं यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थी किसका पुत्र या वारिस है, इससे अप्रार्थी रूगनाथाराम का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी उक्त तथ्य सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र द्वारा सिद्ध करे। मौजा नेलिया, पटवार हल्का गुन्दाऊ की खसरा सं. 500 रकबा 1.49 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 01 कानाराम की स्वअर्जित खातेदारी थी। कानाराम को भूमि बैचान करने का पूर्ण अधिकार था, जिसके तहत दिनांक 19.09.2022 को 0.6475 हैक्टर भूमि का विधिवत पंजीकृत बैचान दिनांक 20.09.2022 को प्रतिफल प्राप्त कर मुझ अप्रार्थी रूगनाथाराम के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से मुझ अप्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा है। प्रार्थी का कोई हक या कब्जा नहीं है। कानाराम द्वारा विधिक अधिकार के अंतर्गत भूमि का बैचान किया गया, जिससे समस्त मालिकाना अधिकार मुझ अप्रार्थी में निहित हो गए हैं। भूमि कानाराम की स्वअर्जित थी तथा बैचान की तिथि से मुझ अप्रार्थी का शांतिपूर्ण व निरंतर कब्जा है। प्रार्थी का कोई जन्मसिद्ध अथवा खातेदारी अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिंदु मुझ अप्रार्थी के पक्ष में हैं। स्थगन आदेश से अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

असत्य एवं विधि–विरुद्ध होने से मय खर्चा खारिज किया जावे तथा एकपक्षीय स्थगन आदेश अपारत किया जावे।

6. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली– भांति अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नालिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचना करते हुए निर्णित करना उचित समझते है।

(1) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत और मूल दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी लाखा पुत्र गणेष की होना बताया है तथा प्रार्थी लाखा का पौत्र होना कथन किया है, जबकि प्रार्थी की ओर से एक भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्षित करता है कि प्रार्थी लाखा का पौत्र हो , जबकि अप्रार्थी संख्या 3 रघुनाथाराम ने अपने जवाब में वर्णित किया कि मौजा नेलिया प.स. गुन्दाऊ के खेत खसरा संख्या 500 रकबा 1.49 हैक्टेयर में से 0.6475 हैक्टेयर भूमि कानाराम पुत्र लाखाराम से खरीद की है, जिस पर बैचान खातेदारी खेत का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नेलिया के खेत खसरा संख्या 500 रकबा 1.49 हैक्टेयर में से 0.6475 हैक्टेयर प्रतिफल राषि 2 लाख 47 हजार जरिये दिनांक 20.09.2022 को बैचान की गई। इस प्रकार उक्त बैचान दस्तावेज उप पंजियक कार्यालय सांचौर के समक्ष पंजियन किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 रघुनाथाराम के पक्ष में किया गया बैचान दस्तावेज एक पंजियन दस्तावेज है तथा वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 3 रघुनाथाराम सद्भावी क्रेता व रेकॉर्डेड खातेदार होने से किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा न ही किसी सद्भावी क्रेता व रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। परिणाम स्वरूपः प्रार्थी अपने हक में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में पूर्णतयः असफल रहा है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम मामला बखुबी सिद्ध होता हैं

(2) सुविधा कर संतुलन :– हस्तगत मामले में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टयान मामले अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। तथा बैचान दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 से प्रतिफल राशि लेकर खसरा संख्या 500 रकबा 1.49 हैक्टेयर में से 0.6475 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 3 के मौके पर कब्जा सुपुर्द बाबत् स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार यदि अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इनकी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग से रोका गया तो प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी संख्या 3 को भारी असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति सिद्ध होता है।

(3) अपूरणीय क्षति :– पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान– अनुदान, बैंक से ऋण प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि के विकास आदि

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार खातेदार को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिन्दु बहक अप्रार्थीगण साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत नहीं समझते है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचनानुसार निष्कर्षतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काष्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दुष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 4/2/2026 को सर—ए—इजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)